

पर्यावरणीय अधिनियम और जलवायु परिवर्तन (Environmental Laws and Climate Change)

डॉ. दिनेश प्रसाद

शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ (भारत)

प्रस्तावना

पिछले चार दशकों के दौरान पर्यावरणीय समस्याओं ने दुनिया में व्यापक वर्ग के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। भारत में पर्यावरण कानून काफी समृद्ध और विकसित है। भारतीय संविधान उन गिने-चुने संविधानों में से एक है जिसमें पर्यावरण संरक्षण के प्रस्ताव भी दिए गए हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में धारा 48 ए और 51 ए जी को जोड़ा गया है जो राज्यों और उसके समकक्षों के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को जोड़ता है देश का सर्वोच्च और मौलिक संविधान दुनिया के उन चंद संविधानों में से एक है जो पर्यावरण की समस्या को ध्यान में रखता है। भारतीय न्याय व्यवस्था प्रकृति में अर्द्ध-संघीय है। भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो अपने मूल ढांचे को बदले बिना समाज की जरूरत के हिसाब से खुद को आसानी से संशोधित कर लेता है।

